FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0165 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 21/06/2026 11:12 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 18/06/2026 **Date To (दिनांक तक):** 19/06/2026
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:30 बजे **Time To (समय तक):** 12:43 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 21/06/2026 **Time (समय):** 10:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 21/06/2026 11:12:53 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 3.5 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** KAMRA N. 332, PASHU PRABANDHAN SHAKHA, NAGAR NIGAM JAIPUR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** NIRMAL

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SHISHPAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1991 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	**Address Type (पता का प्रकार)**	**Address (पता)**
1	वर्तमान पता	5/687, KACCHI BASTI, TEELA NUMBER 5, JAWAHAR NAGAR, JAIPUR, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	5/687, KACCHI BASTI, TEELA NUMBER 5, JAWAHAR NAGAR, JAIPUR, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	**Name (नाम)**	**Alias (उपनाम)**	**Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)**	**Address (पता)**
1	SURENDRA KUMAWAT		पिता:MOHANLAL	1. 517,ASALPUR JOBNER,JAIPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	**Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)**	**Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)**	**Description (विवरण)**	**Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))**
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 18.06.2026 को श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने मन् रघुवीर शरण पुलिस निरीक्षक को जरिये दूरभाष अवगत करवाया कि निर्मल नाम का परिवादी कार्यालय में आयेगा जिसे सुनकर रिपोर्ट करें, जिस पर कुछ देर बाद समय 12.30 पीएम पर एक व्यक्ति कार्यालय कक्ष में आया जिसने अपना नाम निर्मल बताया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय दिया जाकर कार्यालय कक्ष में बैठाया। तत्पश्चात परिवादी ने नगर निगम जयपुर के अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाने हेतु एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका अवलोकन कर हालात चौकी प्रभारी अधिकारी श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये गये जिस पर श्रीमान् द्वारा परिवादी के प्रार्थना पत्र पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु मौखिक निर्देशित किया। परिवादी श्री निर्मल ने इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया कि " सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एस.आई.यू ए.सी.बी जयपुर । विषयः- रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत।महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन हैं कि प्रार्थी की जवाहर नगर कच्ची बस्ती जयपुर में रहमान चिकन शॉप के नाम से मीट की दुकान है, जिसे जावेद चलाता है। दुकान का लाईसेन्स लेने के लिये प्रार्थी ने दि.13.04.2026 को ऑनलाईन एप्लाई किया, जिसे बनाने के लिये श्री सुरेन्द्र कुमावत, जोनल ऑफिसर जयपुर नगर निगम लाल कोठी ने मुझसे पैसे मॉगे। मैने पैसे नही दिये तो मेरी लाईसेंस आवेदन रिजेक्ट कर दिया। तब मैं श्री सुरेन्द्र कुमावत से मिला तो उसने बोला कि आपका लाईसेन्स नहीं बन सकता है, दुकान के पास में मंदिर है। मैने पूछा की लाईसेन्स कैसे बनेगा, आप बताओ तो श्री सुरेन्द्र कुमावत ने कहा अगर लाईसेन्स बनवाना है तो पैसा देना पडेगा। आप अपनी दुकान का नाम बदलकर मुझे कागजात दे दो, मैं आपका लाईसेन्स बनवा दूगॉ, पैसे तो लगेगे, चाहे तो काम होने के बाद में दे देना। तब मैने मजबूरी में अपनी दुकान के कागजात लाईसेन्स बनवाने के लिये श्री सुरेन्द्र कुमावत को दे दिये, ओटीपी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड मॉगने पर वो भी श्री सुरेन्द्र कुमावत को दे दिया थे। श्री सुरेन्द्र कुमावत ने दिनांक 21.05.2026 को मुझ से 1000 रूपये ऑनलाईन नगर निगम में जमा करवाये और उसी दिन ऑनलाईन लाईसेन्स जारी करवा दिया, श्री सुरेन्द्र कुमावत ने मुझे कहा कि आप का लाईसेन्स बन गया । मै किसी भी दीन दुकान पर आकर पैसे ले लूगॉ। दिनांक 17.06.2026 को श्री सुरेन्द्र कुमावत मेरी दुकान पर आया और 12000 रूपये की मॉग की। मैने उस को पैसे कम करने के लिये कहा तो दुकान के ताला लगाने की कहने लगा तो मेरे पास उस समय पैसे कम था इस लिये मजबूरी में मैने उसे 6000/- रूपये दे दिये। इसके बाद श्री सुरेन्द्र कुमावत बकाया 6000 रूपये कल तैयार रखने की या दुकान बन्द रखने की कह कर चला गया। मै श्री सुरेन्द्र कुमावत को मेरी दुकान का लाईसेन्स बनाने के बदले में रिश्वत नही देना चाहता। मैं उसे रंगे हाथों पकडवाना चाहता हॅू। मेरा श्री सुरेन्द्र कुमावत से कोई उधार का लेन देन नही है और ना ही कोई पुरानी रंजिश है। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। 18.06.2026, प्रार्थी- एसडी-श्री निर्मल पुत्र श्री शिशपाल उम्र 35 वर्ष निवासी 5/687 कच्ची बस्ती टीला नम्बर 5 जवाहार नगर जयपुर। पिन कोड 302004 मोबाईल नं. , उक्त हस्तलिखित रिपोर्ट के सबंध में मजीत दरियाफ्त कि तो परिवादी श्री निर्मल ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र स्वयं का हस्तलिखित होना बताते हुये प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुनरावृति की तथा बताया कि उक्त दुकान को जावेद संचालित करता हैं। इस प्रकार परिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन तथा मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्ट्या लोक सेवक द्वारा रिश्वत मांग का पाया जाता हैं जिसका मांग सत्यापन करवाया जाना आवश्यक हैं, जिस पर परिवादी ने बताया कि संदिग्ध अधिकारी आज अपने कार्यालय में ही मुझसे मिलेगा तथा वहीं पर वह रिश्वत संबंधित वार्ता करेगा। जिस पर मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री महेन्द्र कुमार कानि0 नं0 372 को तलब कर कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर तथा एक खाली (नया) मेमोरी कार्ड (32 जीबी डायची कम्पनी का)मंगवाया गया, तत्पश्चात परिवादी व श्री महेन्द्र कुमार कानि0 नं0 372 का आपस में परिचय करवाया जाकर मोबाईल नम्बर आदान प्रदान करवाये गये तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से श्री महेन्द्र कुमार कानि0 नं0 372 को अवगत कराया गया। तत्पश्चात परिवादी को विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की आवश्यक समझाईस कर उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर का खाली होना सुनिश्चित किया गया। तत्पश्चात उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में उक्त नया मेमोरी कार्ड लगाया गया तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर तथा मेमोरी कार्ड दोनों को परिवादी के समक्ष खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी तथा कानि0 को दिखाया गया। इस दौरान परिवादी ने बताया कि मैं संदिग्ध से मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु जाउंगा उससे पहले कॉल किया जाना आवश्यक हैं कि सदिग्ध

कार्यालय में है या नही जिस पर वाईस रिकॉर्डर को चालू करवाकर परिवादी श्री निर्मल से मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर आरोपी को वाट्सएप कॉल किया गया जिस पर संदिग्ध ने कार्यालय में होना बताया व कार्यालय में आकर मिलने की बात बताई जिस पर वाईस रिकॉर्डर को बन्द किया गया। तत्पश्चात डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर श्री महेन्द्र कुमार कानि0 नं0 372 को सुपुर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी के वार्ता हेतु जाने से पूर्व डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को देने की हिदायत की गई व परिवादी व कानि0 को मांग सत्यापन के दौरान वाली वार्ता को रिकॉर्ड करवाने की गोपनियता रखने की हिदायत कर समय 1.40 पी.एम पर रवाना किया गया। समय 2.30 पीएम पर श्री महेन्द्र कुमार कानि0 372 मय परिवादी के मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित कार्यालय आया और डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर पेश कर बताया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर नगर निगम जयपुर के कार्यालय में पहुंचा जंहा पर परिवादी को मुनासिब हिदायत कर मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी श्री निर्मल को सुपुर्द किया जाकर मांग सत्यापन हेतु समय 1.53 पी.एम. पर रवाना किया गया व मन् कानि. परिवादी के वापस आने के इंतजार में छुपाव हासिल करते हुए कार्यालय के बाहर ही मुकीम रहा। समय 2.15 पीएम पर परिवादी मन् कानि0 के समक्ष उपस्थित आया व वाईस रिकॉर्डर मुझे दिया जिसको मैनें बन्द कर सुरक्षित रखकर वापस कार्यालय आया हूं तथा परिवादी ने कानि0 महेन्द्र कुमार द्वारा बताये गये तथ्यों को ताईद करते हुए मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं संदिग्ध के पास उसके कार्यालय में गया जंहा पर उसने मेरी मीट की दूकान का लाईसेंस बनाने के बदले में 6000 रूपये की रिश्वत की मांग की जिस पर मेरे द्वारा रिश्वत राशि कम करने के निवेदन पर संदिग्ध 5000 रूपये रिश्वत लेने बाबत सहमत हुआ हैं और वह मुझसे रिश्वती राशि मेरी दूकान पर लेगा । तत्पश्चात डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर रिकॉर्ड हुई वार्ता को सरसरी तौर पर सुना गया तो रिश्वत मांग संबंध में वार्ता होना पाई गई , वार्ता के दौरान जावेद व मनोज नाम के व्यक्तियों का जिक्र हुआ हैं, जिनके बारे में परिवादी से पूछा तो परिवादी ने बताया कि जावेद मेरी दूकान को चलाता हैं, लाईसेंस जावेद के नाम ही बनवाया हैं, तथा मनोज सामाजिक कार्यकर्ता हैं, परिवादी ने बताया कि जावेद को मैं बुला सकता हूं, जिसपर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा जावेद को बुलाने की हिदायत की गई। हालात प्रभारी अधिकारी श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये गये। तथा दिनांक 16.06.2026 से 19.06.2026 तक सर्च कार्यवाही हेतु चौकी हाजा का टर्न होने के कारण स्वतंत्र गवाहान श्री मुकेश चन्द गुप्ता व विनोद कुमार शर्मा को पाबंद किया गया था जिनको कार्यालय आने की हिदायत की गई। इसी दौरान समय 3.59 पीएम पर परिवादी ने बताया कि मेरे मोबाईल फोन पर संदिग्ध का वाट्सएप कॉल आ रहा हैं जिसको रिकॉर्ड करने हेतु डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालू किया गया लेकिन कॉल कट गया। इस पर परिवादी से संदिग्ध को वापस वाट्सएप वॉईस कॉल करवाया तथा परिवादी की कॉल को लाउड स्पीकर ऑन कर होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड किया गयां, वार्ता के दौरान संदिग्ध अधिकारी ने परिवादी की दूकान पर आना बताया जिस पर परिवादी ने कुछ समय लगना बताया, बाद वार्ता डिजीटल वाईस रिकॉर्डर बन्द कर सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखा गया। परिवादी श्री निर्मल को रिश्वत के तौर पर दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर उपस्थित कार्यालय आने की हिदायत की गई। समय 4.10 पीएम पर पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय आये जिनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री मुकेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री घीसी लाल गुप्ता, उम्र- 55 साल, पता- वैदेही मंदिर के पीछे, पाराशर कॉलोनी, महवा जिला दौसा हाल निवास- प्लाट न0 बी-89, शांतिनगर बी, गुर्जर की थडी, जयपुर हाल- टेक्नीशियन-प्रथम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग- दक्षिण, सांगानेर जयपुर। मोबाईल न0 व दूसरे ने अपना नाम श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री राम कुमार शर्मा उम्र- 56 साल, पता- म0 न0 203, श्री कुशल नगर, सांगानेर, जयपुर हाल- टेक्नीशियन हेल्पर तृतीय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, दक्षिण सांगानेर जयपुर। मो.न.- होना बताया जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान को बैठाया गया। समय 4.20 पी.एम पर परिवादी श्री निर्मल मय एक व्यक्ति के साथ उपस्थित आया जिस पर उक्त व्यक्ति का नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम जावेद होना बताया तथा उक्त मीट की दूकान जावेद का स्वयं द्वारा चलाना व मीट का लाईसेंस स्वंय के नाम बनवाना बताया जिस पर श्री जावेद को प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही के संबध में अवगत करवाया गया जिस पर जावेद ने सहमत होकर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात परिवादी निर्मल व जावेद का परिचय स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तथा उपस्थित रहने के प्रयोजन के बारे में बताकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढ़कर स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया। तत्पश्चात कार्यालय की आलमारी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर निकालकर उसमें रिकॉर्ड परिवादी एवं संदिग्ध के मध्य दिनांक 18.06.2026 को रिश्वत राशि मांग सम्बन्धी वार्ताओ को कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से दोनों गवाहान को सरसरी तौर पर सुनाई गई। दोनों गवाहान ने परिवादी की शिकायत एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सन्तुष्ट होकर स्वेच्छा से टै्रप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्रदान कर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किये। उपरोक्त मौतबीरान के समक्ष पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री निर्मल पुत्र श्री शिशपाल को दिनांक 18.06.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुताबिक संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने के संबंध में कहा गया तो परिवादी श्री निर्मल ने अपने पास से संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि पांच-पांच सौ रूपये के 10 नोट कुल 5,000/-रूपये(भारतीय चलन मुद्रा) के निकाल कर पेश किये। रिश्वत राशि के रूप में दिये जाने वाले नोटो के नम्बरो का विवरण निम्न प्रकार से हैं

क्र.स. नोट का प्रकार नम्बरी नोट
1. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1BU 193483
2. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1KD 880706
3. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4QL 564465
4. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2SC 715525
5. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2FW 244286
6. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2QV 130184
7. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7QD 133169
8. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9FV 926142
9. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2FS 617604
10. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0BA 759807

उक्त नोटों के नम्बर मन् पुलिस निरीक्षक एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो भारतीय चलन मुद्रा के नोटां के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। जिस पर कार्यालय में उपस्थित श्रीमती मंजू सिंह, कनिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उपरोक्त पांच-पांच सौ रूपये के समस्त नोटों पर श्रीमती मंजू सिंह, कनिष्ठ सहायक से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री श्री मुकेश चन्द गुप्ता से परिवादी श्री निर्मल की जामा तलाशी लिवाई जाकर परिवादी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गयी। श्रीमती मंजू सिंह से उक्त फिनाफ्थलीन पाउडर युक्त राशि 5000 रूपये परिवादी श्री निर्मल की पहनी हुई पेंट के सामने के दाहिने जेब में संदिग्ध अधिकारी को देने हेतु रखवाये गये एवं परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को तब तक नहीं छुयेगा जब तक की रिश्वत मांगने वाला अधिकारी रिश्वत के रूप में मांग नहीं करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उन्हें देवें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि संदिग्ध अधिकारी उससे रिश्वत की राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता है अथवा कहां छिपाता है, का भी ध्यान रखे और रिश्वत राशि उसे देने से पूर्व एवं बाद में उससे हाथ नहीं मिलावें, दूर से ही अभिवादन कर लेवें। संदिग्ध अधिकारी को रिश्वती राशि देने के बाद वह अपने मोबाइल फोन से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नम्बर पर मिसकॉल/फोन कर अथवा अपने सिर पर हाथ फेर कर ईशारा करें। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व संदिग्ध अधिकारी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का प्रयास करें। इसके बाद एक कांच के गिलास में साफ पानी डालकर उसमें कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे परिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं सभी उपस्थितगणों ने अपरिवर्तित होना बताया। उक्त गिलास के घोल में श्रीमती मंजू सिंह, कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया। जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि संदिग्ध अधिकारी उक्त पाउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में यह पाउडर लग जायेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया तथा जिस अखबार पर रखकर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया, उसे भी श्रीमती मंजू सिंह, कनिष्ठ सहायक से जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्रीमती मंजू सिंह, कनिष्ठ सहायक के दोनां हाथां को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाया। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं टेपपार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा टै्रपबाक्स में रखी खाली शीशियां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया तथा रिश्वत मांग सत्यापन के समय काम लिया गया मेमौरी कार्ड युक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कक्ष की अलमारी से सुरक्षित बाहर निकालकर कानि0 श्री महेन्द्र बेल्ट न0 372 को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत मुनासिब की गई कि परिवादी के रिश्वत लेन देन वार्ता हेतु संदिग्ध के पास जाने से पूर्व रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द करें। परिवादी को छोड़कर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर सभी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल फोन उसे सुपुर्द कर निर्देश दिये गये कि मोबाईल फोन को अपनी पेंट की सामने की दाहिनी जेब में रखे व आवश्यकता पड़ने पर ही अपने फोन से बात करें तथा श्रीमती मंजू सिंह, कनिष्ठ सहायक को कार्यालय में रहने की हिदायत मुनासिब की गई। पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट पाउडर की फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। जावेद ने दूकान पर जाने का निवेदन करने पर जावेद को मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया।

समय 5.55 पी.एम पर परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से, कानि. विनोद कुमार कानि0 242 व महेन्द्र कानि0 372 को मोटरसाईकिल से, श्रीमती सोहनी महिला कानि0 207 व कानि0 धर्मसिंह कानि0 249 को स्कूटी से व मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री कमलेश कानि0 293, श्री मनीष सिंह 486, श्री दीपेन्द्र सिंह 365, श्री हिम्मत सिंह कानि0 560 मय

स्वतंत्र गवाहान के वाहन सरकारी बोलेरो आरजे 14 यूएन 6727 से मय चालक प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु मय ट्रेप सामग्री के रवाना हुआ।समय 6.05 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के जवाहर नगर कच्ची बस्ती में परिवादी की दूकान के पास पोस्ट आफिस के बाहर पहुचें व वाहनो को साईड में एक तरफ खडा करवाया गया व जाब्ते को एक एक कर गाडी से उतार कर छूपाव हासिल करते हुए अलग अलग स्थानो पर खडा किया गया व इसी दौरान परिवादी की दूकान पर देखा गया तो संदिग्ध दूकान पर उपस्थित नहीं मिला जिस पर परिवादी व महेन्द्र कानि0 को सरकारी बोलेरो गाडी में बैठाया जिस पर परिवादी ने बताया कि संदिग्ध मेरी दूकान पर नहीं हैं उससे मिलने के संबंध में वार्ता करने पर वह रिश्वती राशि प्राप्त करने मेरी दूकान पर उपस्थित हो सकता हैं या मुझे कही बुला सकता हैं। जिसपर समय 6.09 पीएम पर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू करवाकर परिवादी के फोन से संदिग्ध अधिकारी को वाट्सएप कॉल करवाया गया तो सिंदग्ध ने वहां से निकल जाना बताया व परिवादी के कल सुबह कार्यालय में ही आने की बात कही। बाद वार्ता डिजीटल वाइॅस रिकॉर्डर बन्द कर वार्ता रिकॉर्ड होना सुनिश्चित कर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सुरक्षित रखा गया, तत्पश्चात सम्पूर्ण जाब्ता व स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी के ब्यूरो मुख्यालय हेतु रवाना हुआ।समय 6.30 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी के उपस्थित कार्यालय आया और परिवादी की पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में रखी रिश्वती राशि स्वतंत्र गवाह श्री मुकेश चन्द गुप्ता से निकलवाई जाकर लिफाफे में रखवाई जाकर कार्यालय कक्ष की आलमारी में सुरक्षित रखवाई गई तथा डिजीटल वाइॅस रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय में अलमारी में रखा गया तथा स्वतंत्र गवाहान व परिवादी व जाब्ते को दिनांक 19.06.2026 को कार्यालय समय पर उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 19.06.2026 को 10.00 ए.एम पर स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय आये व समय 11.30 पीएम पर परिवादी श्री निर्मल उपस्थित कार्यालय आया व बताया कि उक्त रिश्वती राशि श्री सुरेन्द्र कुमावत अपने कार्यालय में ही लेगा जिस पर कार्यालय की आलमारी में सुरखित रखी फिनाफ्थ्लीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि के लिफाफे को श्रीमती मंजू सिंह से निकलवाया जाकर गिनवाए तो पांच पांच सौ के 10 नोट होना पाये गये तथा नम्बर नोट फर्द पेशकशी के हूबहू पाये गये । तत्पश्चात श्री मुकेश चन्द गुप्ता से परिवादी की तलाशी लिवाई गई तो परिवादी के मोबाईल के अलावा अन्य कोई संदिग्ध वस्तु नहीं होना पाई गई। जिस पर उक्त राशि सिंदग्ध अधिकारी को रिश्वत के रूप में देने हेतु श्रीमती मंजू सिंह कनिष्ठ सहायक से परिवादी की पहनी पेंट की दाहिनी जेब में रखवाई गई तथा परिवादी को मुनासिब हिदायत की गई। कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर कानि0 महेन्द्र को सुपुर्द किया गया तथा परिवादी के रिश्वत लेन देन हेतु जाने से पूर्व डिवीआर को चालू कर परिवादी को सुपुर्द करने की हिदायत की गई। समय 12.10 पीएम पर परिवादी श्री निर्मल को उसकी स्वयं की मोटर साईकिल से, श्री पन्ना लाल कानि.0 09 को स्वयं की मोटरसाईकिल से, श्री कमलेश हैड कानि0 74, श्री हिम्मत सिंह कानि0 560, श्री विनोद कानि0 242, श्री योगेश कुमार कानि0 202, श्री मनीष सिंह कानि0 486, श्री धर्मसिंह कानि0 249, श्रीमती सोहनी महिला कानि0 207 श्री दीपेन्द्र सिंह कानि0 365, श्री कमलेश कानि0 293 मय स्वतंत्र गवाहान श्री मुकेश चन्द गुप्ता व विनोद कुमार शर्मा मय चालक श्री राकेश कुमार न0 494 मय वाहन सरकारी आरजे 14 पी.ई 8775 फार्स ट्रेवलर से मय लेपटॉप प्रिन्टर, पानी की बोतले व ट्रेपबॉक्स के ब्यूरो मुख्यालय से प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना किया गया तथा पीछे पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय महेन्द्र कानि0 372 मोटरसाईकिल से प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु नगर निगम कार्यालय की ओर रवाना हुआ। समय 12.25 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय स्वतंत्र गवाहान मय लेपटॉप प्रिन्टर, पानी की बोतले व ट्रेपबॉक्स केब्यूरो मुख्यालय से रवाना होकर नगर निगम जयपुर के पास टोंक रोड पर पहुंचे जंहा से विधानसभा रोड की तरफ वाहनो को साईड में खडा किया गया। जाब्ता तथा स्वतंत्र गवाहान को परिवादी के इर्द-गिर्द रहते हुये अपनी उपस्थिति छुपाते हुये संदिग्ध आरोपी तथा परिवादी के मध्य होने वाले रिष्वत राषि आदान-प्रदान को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्ता को यथा सम्भव सुनने की हिदायत की गई। विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को कानि0 महेन्द्र कुमार कानि0 द्वारा परिवादी को संचालन की विधि की समझाईस कर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को समय 12.30 पीएम पर दिया जाकर परिवादी को अकेले ही रिश्वत लेन देन हेतु रवाना किया गया तथा पीछे-पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ता भी पैदल-पैदल रवाना हुये। परिवादी संदिग्ध अधिकारी के कार्यालय द्वितीय मंजिल की ओर रवाना हुआ और मन् पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता के द्वितीय फ्लोर पर परिवादी के ईशारे के इन्तजार में अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम हुए। समय 12.43 पीएम पर परिवादी श्री निर्मल ने पूर्व में निर्धारित ईशारा मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर पर कॉल किया, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त टीम मय स्वतंत्र गवाहान के कार्यालय पशु प्रबंधन शाखा नगर निगम जयपुर में कमरा न0 332 में प्रवेश किया, जंहा पर परिवादी के सामने एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ मिला। परिवादी श्री निर्मल से डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर मन् पुलिस निरीक्षक ने सुरक्षित रखा। परिवादी के सामने बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि ये श्री सुरेन्द्र कुमावत पशु निरीक्षक हैं। अभी-अभी श्री सुरेन्द्र कुमावत ने मेरी मीट की दूकान का पूर्व में बनाये लाईसेंस के एवज में मेरे से 5000/-रूपये रिश्वत राशि के प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जींस पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब में रखे हैं। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहान मय टीम के परिवादी के पास बैठे व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय दिया जाकर हमराही जाप्ते में श्री महेन्द्र कुमार कानि. 372

से बांया व श्री मनीष सिंह कानि. 486 से दांया हाथ कलाईयां के ऊपर से पकडवाया और उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री सुरेन्द्र कुमावत पुत्र श्री मोहनलाल जाति- कुमावत उम्र- 32 साल निवासी- 517, आसलपुर जोबनेर, पुलिस थाना जोबनेर हाल- पशुधन निरीक्षक, जोन-(आदर्शनगर, किशनपोल, आमेर, हवामहल) कार्यालय पशुप्रबंधक शाखा नगर निगम जयपुर बताया, जिसको परिवादी से रिश्वती राशि प्राप्त करने के बारे में पूछा गया तो वह चुप हो गया कुछ नहीं बोला जिस पर तस्सलीपूर्वक पुनः पूछा गया तो उसने बताया कि मेरा व परिवादी का कोई बिजनेस हैं जिसको चलाने के पैसे लिए हैं मैनें कोई रिश्वत नहीं ली, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से पूछा तो उसने आरोपी द्वारा बताये गये तथ्यों का खण्डन करते हुए कहा कि मेरी जवाहर नगर कच्ची बस्ती जयपुर में रहमान चिकन शॉप के नाम से मीट की दुकान है, जिसका मीट की दूकान का लाईसेंस बनाने के बदले में उक्त रूपये रिश्वत के रूप में प्राप्त किये हैं। जिस पर पुनः आरोपी को पूछा गया तो वह कुछ नहीं बोला चुप हो गया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा संदिग्ध को रिश्वती राशि के संबंध में पूछा गया तो उसने अपनी पहनी हुई जींस पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखना बताया। हमराही जाप्ता में से श्री मनीष सिंह कानि., श्री महेन्द्र कानि0 को संदिग्ध के हाथों को कलाई के उपर से पकड कर रखने की हिदायत की गई। तत्पश्चात् परिवादी व संदिग्ध श्री सुरेन्द्र कुमावत द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि के लिये सरकारी वाहन से ट्रेपबॉक्स, पानी की बोतल मंगवायी गई तथा ट्रेपबॉक्स में से दो कांच के गिलास निकलवाकर उन्हें पानी से भरकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगणों को दिखाया गया। मौके पर उपस्थित सभी ने उक्त मिश्रण को रंगहीन होना बताया। इसके बाद एक गिलास के मिश्रण में संदिग्ध श्री सुरेन्द्र कुमावत के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर चिटचस्पा कर मार्क R-1 व R-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार दूसरे गिलास के तैयारशुदा मिश्रण में संदिग्ध श्री सुरेन्द्र कुमावत के बांये हाथ की अगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सीलचिट कर मार्क L-1 व L-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर बाद शील्डमोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात संदिग्ध श्री सुरेन्द्र कुमावत की पहनी हुई जींस पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब की तलाशी लेने हेतु स्वतंत्र गवाह विनोद कुमार शर्मा को कहा गया तो पेंट की उक्त जेब में 500-500 रूपये के नोट मिले जिनको गिनवाये जाने पर कुल 10 नोट 500-500 रूपये की कुल राशि 5,000/- रूपये होना पाया गया। जिनके नम्बरों का फर्द पेशकशी में अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाया गया तो हूबहू होना पाये गये।

उपरोक्त रिश्वती राशि को गवाह विनोद कुमार शर्मा के पास सुरक्षित रखवायी गई। स्वतंत्र गवाह श्री विनोद कुमार शर्मा से आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमावत की तलाशी लिवाई गई तो संदिग्ध की जेब से 1400 रूपये, विभागीय पहचान पत्र, हाथ घडी, सोने जैसी अंगुठी, वीवो कम्पनी का एक मोबाईल, एक मोटरसाइकिल की चाबी, एक चश्मा मिले, जिसको कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात संदिग्ध की पहनी हुई जींस पेन्ट के जेब (जहां से रिश्वती राशि बरामद हुई) का धोवन लेने हेतु एक अन्य पजामे की व्यवस्था की जाकर जींस पेंट को खुलवाकर पजामा पहनाया गया तथा उक्त पेंट की जेब का धोवन लेने हेतु एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर उनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर प्रक्रियानुसार मिश्रण तैयार कर उपस्थितगणों को दिखाया गया। मौके पर उपस्थित सभी ने उक्त मिश्रण को रंगहीन होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के मिश्रण में संदिग्ध श्री सुरेन्द्र कुमावत की उक्त पेंट की पीछे की दाहिनी जेब को उलटकर (जंहा से रिश्वती राशि बरामद हुई) का धोवन लिया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर चिटचस्पा कर मार्क P-1 व P-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त पेंट की पीछे की दाहिनी जेब के पास संबंधित के हस्ताक्षकर करवाये जाकर पेंट को समेटकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली को सिलकर शिल्डमोहर कर मार्क- P अंकित किया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात संदिग्ध श्री सुरेन्द्र कुमावत से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं वर्ष 2017 में पशुधन सहायक पशुपालन विभाग में पदस्थापित हुआ था। वर्ष 2024 में पशुप्रबधन शाखा नगर निगम जयपुर में पशुधन निरीक्षक पद पर प्रतिनियुक्ति पर मेरा पदस्थापन हो गया जंहा पर आदर्शनगर, किशनपोल, आमेर-हवामहल का निरीक्षक का कार्य देखता हूं। तीनो जोन में मीट की दूकानो के लाईसेंस का मौका निरीक्षण मेरे द्वारा किया जाता हैं। निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर प्रभारी अधिकारी पूर्व में उपायुक्त पशु प्रबन्धन को तथा करीब 10 दिन से डा. नेहा गौड़ वेटनरी ऑफिसर को फॉरवर्ड की जाती हैं। परिवादी श्री निर्मल की दूकान का मौका निरीक्षण मेरे द्वारा किया जाकर रिपोर्ट उपायुक्त महोदय को फॉरवर्ड कर दी थी, परिवादी की दूकान का लाईसेंस पहले ही जारी हो गया था उक्त राशि तो बिजनेस के सम्बन्ध में ली है। परिवादी ने आरोपी के कथन का खण्डन करते हुये अपनी चिकन शॉप का पूर्व में लाईसेंस जारी करने की एवज में लेना बताया है। जिस पर आरोपी को पुनः पूछा गया तो चुप हो गया, कुछ नही बोला। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सरसरी तौर पर सुना गया तो रिश्वत लेन देन के दौरान हुई वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई जिसकी आईन्दा नियमानुसार फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जायेगी। प्रावधानानुसार आरोपी के कब्जे से रिष्वत राषि बरामदगी की विडियो रिकॉर्डिंग विभागीय पैनासोनिक कैमरे से श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. 365 से करवाई गई, डीवीआर में आरोपी सुरेन्द्र कुमावत की आवाज रिश्वत मॉग

सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता के दौरान रिकॉर्ड होने से आरोपी को स्वयं की आवाज का परीक्षण करवाने हेतु नमूना आवाज देने के लिए कहा गया तो आरोपी ने परीक्षण के लिये अपनी नमूना आवाज देने से इनकार किया जिसकी पृथक से फर्द प्राप्ती नमूना आवाज मुर्तिब कर आरोपी से नमूना आवाज परीक्षण मनाही बाबत लिखित में प्राप्त की गई। आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमावत पुत्र श्री मोहनलाल जाति- कुमावत उम्र- 32 साल निवासी- 517, आसलपुर जोबनेर, पुलिस थाना जोबनेर हाल- पशुधन निरीक्षक, कार्यालय पशुप्रबंधन शाखा नगर निगम जयपुर द्वारा लोकसेवक होते हुये परिवादी पक्ष श्री निर्मल से उसकी जवाहर नगर कच्ची बस्ती जयपुर में रहमान चिकन शॉप का पूर्व में जारी लाईसेंस की एवज में दौराने मांग सत्यापन दिनांक 18.06.2026 को 6,000 रूपये की मांग कर 5000 रूपये बतौर रिश्वत लेने हेतु सहमत होकर उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 19.06.2026 को रिश्वत लेन देन के दौरान परिवादी से 5,000/-रूपये की राशि बतौर अनुचित लाभ प्राप्त करना आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमावत द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमावत पुत्र श्री मोहनलाल जाति- कुमावत उम्र- 32 साल निवासी- 517, आसलपुर जोबनेर, पुलिस थाना जोबनेर, पशुधन निरीक्षक, पशुपालन विभाग राजस्थान जयपुर हाल प्र्तिनियुक्ति- पशुधन निरीक्षक, कार्यालय पशु प्रबंधन शाखा नगर निगम जयपुर को उसके जुर्म एवं गिरफ्तारी के आधारों से आगाह कर रूबरू मौतबिरान के जरिये फर्द पृथक से नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई तथा गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बतायेनुसार आरोपी के बडे भाई दयाशंकर के मोबाईल न. पर दी गई। आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमावत पशुधन निरीक्षक का प्रथम नियुक्ति आदेश व वर्तमान पदस्थापन आदेश तथा सेवा विवरण प्राप्त करने हेतु उपायुक्त कार्मिक नगर निगम जयपुर को पत्र जारी कर श्री कमलेश हैड कानि0 74 को भिजवाया गया एवं परिवादी पक्ष श्री जावेद की ओर से रहमान चिकन शॉप के नाम से किये गये आवेदन पर नगर निगम जयपुर से जारी अनुज्ञा पत्र/लाईसेंस न0 JMC/2026-27/2216 रजिस्ट्रेशन न0 2026-27/500/430 से संबंधित सम्पूर्ण मूल पत्रावली प्राप्त करने हेतु उपायुक्त, पशु प्रबंधन, नगर निगम जयपुर को पत्र जारी किया गया। गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमावत का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु मेडीकल ज्यूरिष्ठ सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर को तहरीर जारी कर जाब्ता श्री कमलेश कानि0 293, श्री मनीष सिंह 486, श्री दीपेन्द्र सिंह कानि0 372 के हमराह गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमावत को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु जरिये सरकारी वाहन से सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के लिए रवाना किया गया। स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का नजरी निरीक्षण किया गया तथा फर्द निरीक्षण एवं नक्शा मौका घटनास्थल पृथक से तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। उपायुक्त कार्मिक नगर निगम जयपुर का पत्रांक एफ-5() /सा.प्र/ननिज/2026/377 दिनांक 19.06.2026 मय संलग्न आरोपी का सेवा विवरण व प्रथम नियुक्ति आदेश व वर्तमान पदस्थापन आदेश, कार्य आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की गई, जिन्हे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया । आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गई। आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमावत व परिवादी के मध्य वाट्सएप/साधारण कॉल हुई हैं जिस पर आरोपी के मोबाईल फोन में परिवादी व आरोपी के वाट्सएप कॉल व चैट होने से पूर्व में मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल से खीचें गये फोटोज का प्रिंट निकलवाकर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही किया। आरोपी के मोबाईल फोन को बतौर वजह सबूत होने से पृथक से जरिये फर्द जब्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई व बरामदगी रिश्वती राशि की फर्द तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराही जाब्ता मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमावत मय कब्जा एसीबी लिये गये आर्टिकल्स मय बरामदा रिश्वती राशि मय ट्रेप बॉक्स व अन्य सामग्री के जरिये प्राईवेट/सरकारी वाहनो से ब्यूरो मुख्यालय हेतु रवाना होकर ब्यूरो मुख्यालय पहुचा एवं आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमावत से विस्तृत पूछताछ कर पूछनोट मुर्तिब किया गया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ताओं को लेपटॉप की सहायता से स्वतंत्र गवाहान, परिवादी को सुनाकर उसमें रिकॉर्ड वार्ताओं में आवाज की पहचान परिवादी से करवाई गई तो रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओ दिनांक 18.06.2026 में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमावत की होना पहचान की। इसी प्रकार दिनांक 19.06.2026 को रिश्वत लेन देन के दौरान हुई वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा अन्य एक आवाज आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमावत की होना पहचान की। तत्पष्चात् दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष दिनांक 18.06.2026 को रिष्वत मांग सत्यापन तथा रिश्वत लेन देन के दौरान दिनांक 19.06.2026 को हुई वार्ताओ को लेपटॉप के माध्यम से सुनकर शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। तत्पश्चात विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को विभागीय लेपटॉप से जोड़कर उक्त रिकार्ड वार्ताओं की वाईस क्लिप को बारी-बारी से चार अलग-अलग पैनड्राईव में राईट/बर्न/कॉपी श्री महेन्द्र कुमार कानि. 372 से करवाया गया। वॉईस क्लिप्स पैनड्राईव. में रिकार्ड/सेव होना सुनिश्चित किया जाकर सभी चार पैनड्राईव पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा अलग-अलग पैनड्राईव. मार्क A-1 (न्यायालय प्रति), A-2 (अभियोजन प्रति) A-3 (आरोपी प्रति) A-4 आईओ प्रति क्रमशः अंकित किये गये एवं A-.4 पैनड्राईव. को अनुसंधान अधिकारी हेतु हेतु खुला रखा जाकर सभी पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त पैनड्राईव में से तीन पैनड्राईव मार्क A-1, A-2, A-3 को अलग-अलग प्लास्टिक के पैनड्राईव कवर में रखकर सील

मोहर की गयी। पैकेटों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये व पैनड्राईव अनुसार कपडे के पैकेटों पर मार्क अंकित किये गये । मार्क A-1, A-2, A-3 को ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखा गया। A-4 पैनड्राईव(आईओ कॉपी) अनुसंधान अधिकारी हेतु अनुसंधान के प्रयोजनार्थ खुली पत्रावली के संलग्न रखी गयी। शील्ड करने से पूर्व पैनड्राईव मार्क A-1 की एवं डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे उक्त मूल मेमोरी कार्ड, जिसमें उक्त सभी वार्ताओं की वॉयस क्लिप सेव हैं की एफटीके इमेजर साफ्टवेयर की सहायता से हैशवैल्यू निकाली गई। मूल मेमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से निकालकर सफेद कागज में लपेटकर एक माचिस की डिब्बी में डालकर उक्त माचिस की डिब्बी को सफेद कपडें की थैली में रखकर सील मोहर कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्काष्ैक्ष् अंकित किया गया। फर्द ट्रांसक्रिप्ट के दौरान स्थानीय भाषा का हिन्दी रूपान्तरण मेरे द्वारा परिवादी से पूछ-पूछ कर किया गया। ट्रांसक्रिप्ट की फर्द पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। दौराने कार्यवाही भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत श्री दीपेन्द्र सिह कानि 365, से हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिष्वत राषि की कार्यवाही की विभागीय पैनासोनिक कैमरे से विडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई थी जो विडियो कैमरे के मेमोरी कार्ड में संरक्षित है। जो प्रकरण में बतौर वजह सबूत होने से मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में ट्रांसस्क्रिप्ट कार्यवाही के दौरान ही मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में कार्यालय कक्ष में अन्य विभागीय लेपटॉप की सहायता से श्री दीपेन्द्र सिह से विभागीय कैमरे मे लगे कार्ड एडप्टर को मैमोरी कार्ड सहित निकालकर कार्ड अडेप्टर को विभागीय लेपटॉप से जोडा गया, कार्ड अडेप्टर में लगे 32 जीबी CONSISTENT कम्पनी मैमोरी कार्ड में सुरक्षित दो विडियो क्लिप्स को चलाकर दोनों गवाहान को दिखाया गया। तत्पश्चात एफटीके ईमेजर साफ्टवेयर की सहायता से कार्ड अडेप्टर में लगे मैमोरी कार्ड की हैश वेल्यू निकलवाई गई। ट्रेप बाक्स में से दो खाली मैमोरी कार्ड 32 जीबी CONSISTENT कम्पनी की व्यवस्था की गई तथा खाली मैमोरी कार्ड 32 जीबी CONSISTENT कम्पनी को विभागीय लेपटॉप से जोडकर मैमोरी कार्ड को खाली होना सुनिष्चित किया गया। तत्पष्चात् विभागीय लेपटॉप में एडप्टर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में संरक्षित/सेव डाटा/विडियो क्लिप्स को कॉपी कर बारी बारी से दो नये खाली मैमोरी कार्ड में सेव/सुरक्षित किया। गवाहान को लेपटॉप में लगे मैमोरी कार्ड में सुरक्षित उक्त वीडियों क्लिप्स सरसरी तौर पर चलाकर दिखाईं व उक्त मैमोरी कार्ड की हैश वैल्यू पृथक से निकलवाई गई। तत्पश्चात एडेप्टर में लगे मूल मैमोरी कार्ड को बाहर निकालकर कागज में लपेटकर सुरक्षित रखकर माचिस की खाली डिब्बी में उक्त मैमोरी कार्ड को रखकर माचिस की डिब्बी को टैप लगाकर सफेद कपडे की खाली थैली में रखकर थैली को सीलकर शील्डमोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर ‘‘मार्क-VD‘‘ अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये व तैयारशुदा क्लोन/प्रति के एक मैमोरी कार्ड को उसी कार्ड के प्लास्टिक के कवर में रखकर एक सफेद कपडे की खाली थैली में रखकर थैली को सीलकर शील्डमोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर मार्क-’’VD-1‘‘अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। क्लोन की दूसरी प्रति को लेपटॉप से निकालकर मार्क-’’VD-2‘‘ अंकित कर अनुसंधान अधिकारी हेतु खुली अवस्था में रखा गया एवं जप्ती मैमोरी कार्ड विडीयोग्राफी की फर्द पृथक से मुर्तिब की गई। उक्त कार्यवाही गवाहों के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक निर्देशन में श्री दीपेन्द्र सिंह कानि न0 365 से करवायी गयी। दौराने कार्यवाही जब्तशुदा आर्टिकल्स व बरामदा रिश्वती राशि को जमा मालखाना करवाया गया। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमावत पुत्र श्री मोहनलाल जाति- कुमावत उम्र- 32 साल निवासी- 517, आसलपुर जोबनेर, पुलिस थाना जोबनेर हाल- पशुधन निरीक्षक पशुपालन विभाग राजस्थान जयपुर हाल- प्रतिनियुक्ति पशुधन निरीक्षक कार्यालय पशुप्रबंधन शाखा नगर निगम जयपुर द्वारा लोकसेवक होते हुये परिवादी पक्ष श्री निर्मल से उसकी जवाहर नगर कच्ची बस्ती जयपुर में रहमान चिकन शॉप का पूर्व में जारी लाईसेंस की एवज में दौराने मांग सत्यापन दिनांक 18.06.2026 को 6,000 रूपये की मांग कर 5000 रूपये बतौर रिश्वत लेने हेतु सहमत होकर उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 19.06.2026 को रिश्वत लेन देन के दौरान परिवादी से 5,000/-रूपये की राशि बतौर अनुचित लाभ प्राप्त करने पर आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमावत के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्थम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया हैं। अतः आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमावत पुत्र श्री मोहनलाल जाति- कुमावत उम्र- 32 साल निवासी- 517, आसलपुर जोबनेर, पुलिस थाना जोबनेर हाल- पशुधन निरीक्षक पशुपालन विभाग राजस्थान जयपुर हाल- प्रतिनियुक्ति पशुधन निरीक्षक, कार्यालय पशु प्रबंधन शाखा, नगर निगम जयपुर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट/प्रतिवेदन वास्ते क्रमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित हैं।(रघुवीर शरण) पुलिस निरीक्षक विशेष अनुसंधान ईकाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रघुवीर शरण, पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमावत पुत्र श्री मोहनलाल जाति- कुमावत उम्र- 32 साल निवासी- 517, आसलपुर जोबनेर, पुलिस थाना जोबनेर, पशुधन निरीक्षक पशुपालन विभाग राजस्थान जयपुर, हाल प्रतिनियुक्ति- पशुधन निरीक्षक कार्यालय पशु प्रबंधन शाखा नगर निगम जयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री झाबरमल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसआईडब्लू-जयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 367 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1003-06 दिनांक 21.06.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-01, जयपुर 2- निदेशक, निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, आयुक्तालय जयपुर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** JHABAR MAL YADAV **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 21/06/2026 12:01:38

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)